

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

229] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1973/आषाढ़ 4, 1895

229] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1973/ASADHA 4, 1895

इस भाग : 1 भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June 1973

S.O. 354(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Second Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958:—

(i) after entry (26-B), the following entry shall be inserted, namely:—

“(26-C) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Space, by the Director in that Department; or”

(ii) in the Schedule, below the heading ‘DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY’ and the entry thereunder, the following heading and entry shall be inserted, namely:—

Department of Space

Space Commission

Secretary

[No. F. 3/3/73-Pub. I.]

M. K. NAIR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 जून, 1973

का० आ० 354(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) द्वितीय संशोधन नियम, 1973 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के नियम 2 में,
 - (i) प्रविष्टि (26-ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(26-ग) अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखितों के मामले में, उम विभाग के निदेशक द्वारा; या”
 - (ii) अनुसूची में, ‘परमाणु-ऊर्जा विभाग’ शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अन्तरिक्ष-विभाग

अन्तरिक्ष आयोग

सचिव

[संख्या 3/3/73-पब्लिक-1]

मी० कृ० नायर, संयुक्त सचिव।